श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/4023

श्रीमती सरवर बी पति मोहम्मद अय्यूब
पता – 11 लोहारपट्टी
इन्दौर (म.प्र.)

श्री [illegible] भगवत [illegible]
द्वारा 25-10-17 को कोर्ट
में प्रस्तुत किया

— आवेदक

वि रू द्ध

अब्दुल रशीद पिता स्व. हाजी मोहम्मद
निवासी: 11 लोहार पट्टी इन्दौर

— अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हातौद जिला इन्दौर के समक्ष राजस्व 44/अपील/14-15 में आवेदक/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दो आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 दिनांक 13/09/2017 को निरस्त करने से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक/अपीलार्थी द्वारा आवेदक/प्रत्यर्थी के विरूद्ध नामांतरण प्रकरण नामांतरण प्रकरण क्रमांक 20/अ-6/14-15 में पारि आदेश दिनांक 02/05/2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 4023

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–11–2017	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–9–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि अनावेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, अतः वह बिना पूर्व अनुमति के अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	